[illegible] प्रतिलिपि किये जाने का
निवेदन किया आज्ञा पत्रा. 30-5-16 का कैम्प कुर्सी [illegible]

30/5/16 पत्र. कैम्प कोर्ट कुर्सी [illegible] में मूल वाद के साथ पंजीकृत हुआ) प्रार्थी का मूल वाद डिक्री होकर निर्णीत हो चुका है अतः इस प्रा.पत्र का आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रा. नस्ती से कम होकर अंतिम दाखिल किया जावे।

Scanned by CamScanner